**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारां‎कित प्रश्न संख्या 1046**

**बुधवार, 29 जुलाई, 2015 / 7 श्रावण, 1937(शक)**

**पूरे देश के लिए एक समान मजदूरी नीति**

**1046. डा. संजय सिंह:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि न्यूनतम मजदूरी अ‎धिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार पूरे देश के लिए एक समान मजदूरी नीति बनाए जाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री बंडारू दत्तात्रेय)**

(क) और (ख): ‎ जी, हाँ। न्यूनतम मजदूरी अ‎धिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही अपने संबं‎धित क्षेत्रा‎धिकारों के अंतर्गत मजदूरी ‎निर्धा‎रित करने के ‎लिए समु‎चित सरकार हैं। मजदूरी में अंतर सामा‎जिक–आ‎र्थिक तथा कृ‎षि–जलवायु ‎स्थितियों, आय, आवश्यक पदार्थों के मूल्य, भुगतान क्षमता, उत्पादकता तथा स्थानीय प‎रिस्थितियों में अंतर के कारण भी होता है। 01.04.2015 से केन्द्रीय क्षेत्र में मजदूरी की न्यूनतम दरें अनुबंध में दी गई हैं।

(ग) एवं (घ): सरकार ने समान मजदूरी संरचना रखने की दृ‎ष्टि से वर्ष 1996 में स्वै‎च्छिक आधार पर राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी (एनएफएलएमडब्ल्यू) की प‎रिकल्पना प्रस्तुत की। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में वृ‎द्धि के आधार पर एनएफएलएमडब्ल्यू को समय-समय पर संशो‎धित ‎किया जाता है। हाल ही में 01.07.2015 से इसे संशो‎धित करके 160 रूपये प्र‎ति ‎दिन कर ‎दिया गया है।

\*\*\*\*\*

\*

**अनुबंध**

**पूरे देश के लिए एक समान मजदूरी नीति से संबं‎धित दिनांक 29.07.2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारां‎कित प्रश्न संख्या 1046 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में अनुबंध**

**केन्द्रीय क्षेत्र के अनुसू‎चित ‎नियोजनों के ‎लिए न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्र-वार दरें**

**01.04.2015 की ‎स्थिति के अनुसार**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **अनुसूचित नियोजन का नाम** | **कामगार की श्रेणी** | **01.10.2014 की स्थिति के अनुसार****परिवर्ती मंहगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें प्रतिदिन (रुपये में)**  |
|  | **क्षेत्र-क** | **क्षेत्र ख** | **क्षेत्र ग** |
| **1. कृषि**  | **अकुशल** | **226.00** | **206.00** | **204.00** |
|  | **अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय** | **247.00** | **228.00** | **209.00** |
|  | **कुशल/लिपिकीय** | **269.00** | **247.00** | **227.00** |
|  | **अतिकुशल** | **298.00** | **276.00** | **247.00** |
| **2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खान में संलग्न कामगार**  | **1. उत्खनन एवं 50मीटर लीड/1.5मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में:**  |
| **(क) मुलायम मिट्टी** | **233.00** |
| **(ख) कंकड़ सहित मुलायम मिट्टी** | **352.00** |
| **(ग) कंकड़** | **467.00** |
| **2. हटाने एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छाटे गये पत्थरों को जमा करने में:** | **187.00** |
| **एक समान आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए** |
| **(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच** | **1446.00** |
| **(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच से ऊपर** | **1237.00** |
| **(ग) 3.0 इंच से 5.0 इंच से ऊपर**  | **723.00** |
| **(घ) 5.0 इंच से ऊपर** | **594.00** |
| **3. झाडू लगाना एवं सफाई करना**  | **अकुशल** | **348.00** | **290.00** | **233.00** |
| **4. पहरा एवं निगरानी**  | **बिना शस्त्र के** | **385.00** | **328.00** | **272.00** |
| **शस्त्र सहित** | **424.00** | **385.00** | **328.00** |
| **5. लादना एवं उतारना**  | **अकुशल** | **348.00** | **290.00** | **233.00** |
| **6. निर्माण**  | **अकुशल** | **348.00** | **290.00** | **233.00** |
| **अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षण** | **385.00** | **328.00** | **272.00** |
| **कुशल/लिपिकीय** | **424.00** | **385.00** | **328.00** |
| **अति कुशल** | **461.00** | **424.00** | **385.00** |
| **7. कोयला खानों के अलावा** |  | **भूमि के ऊपर** | **भूमि के नीचे** |
| **अकुशल** | **233.00** | **290.00** |
| **अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षण** | **290.00** | **348.00** |
| **कुशल/लिपिकीय** | **348.00** | **405.00** |
| **अति कुशल** | **405.00** | **461.00** |
| **अनुसूचित नियोजन का नाम** | **नामावली** |
| **1. कृषि** | **कृषि** |
| **2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में लगे कामगार** | **पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में लगे कामगार** |
| **3. झाडू लगाना एवं सफाई करना** | **हाथ से मल साफ करने और सूखे शौच का निर्माण (प्रतिषेध ) अधिनियम,1993 के अंतर्गत शामिल कार्यों को छोड़कर झाडू लगाने एवं सफाई करने के कार्य संबंधी नियोजन**  |
| **4. पहरा एवं निगरानी** | **पहरा-निगरानी संबंधी नियोजन** |
| **5. लादने एवं उतारने** | **लादने एवं उतारने संबंधी कार्य (i) रेलवे के गुडस शेडस, पार्सल कार्यालय (ii) अन्य गुडस-शेडस,गोदामों, वेयर हाउसों आदि और (iii)गोदी एवं पत्तनों में नियोजन** |
| **6. निर्माण** | **निर्माण अथवा सड़कों का अनुरक्षण अथवा रनवे अथवा भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा विदेशी दूरसंचार से जुड़े तारों को बिछाने एवं अन्य समरूप भूमिगत तार लगाने के कार्य, बिजली की लाइन, जलआपूर्ति की लाइन तथा सिवरेज पाइप लाइनों के कार्य** |
| **7. कोयला खानों के अलावा** | **जिप्सम खान, बेराइट्स खान, बाक्साइट खान, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, केनाइट, तांबा, क्ले, मैंग्नेसाइट, व्हाईट क्ले, पत्थर, स्टीएटाइट खान(खानों में उत्पन्न होने वाले साबुन, पत्थर एवं पाउडर सहित),ऑशर, एसबेसटस, फायर क्ले, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टज, सिलिका, ग्रेफाइट, फेल्सपर, लेटेराइट, डोलोमाइट, रेड आक्साइड, वोल्फ्रेम, लौह-अयस्क, ग्रेनाइट, रॉक फास्फेट, हेमाटाइट, मार्बल एवं कैल्साइट, यूरेनियम, अभ्रक, लिग्नाइट, ग्रेव, स्लेट तथा मैग्नेटाइट खान के ‎नियोजन में लगे कर्मचारी** |

**क्षेत्र का वर्गीकरण**

|  |
| --- |
| **क्षेत्र - ‘क’** |
| अहमदाबाद | (यूए) | हैदराबाद | (यूए) | फरीदाबाद काम्पलैक्स |  |
| बंगलुरू | (यूए) | कानपुर | (यूए) | गा‎जियाबाद |  |
| कोलकाता | (यूए) | लखनऊ | (यूए) | गुड़गांव |  |
| दिल्ली | (यूए) | चैन्नई | (यूए) | नोएडा |  |
| वृह्न मुम्बई | (यूए) | नागपुर | (यूए) | ‎सिकन्दराबाद |  |
| नवी मुम्बई |  |  |  |  |  |
| **क्षेत्र - ‘ख’** |
| आगरा | (यूए) | जोधपुर |  | जबलपुर | (यूए) |
| अजमेर |  | कोच्चि | (यूए) | जयपुर | (यूए) |
| अलीगढ़ |  | कोल्हापुर | (यूए) | जालंधर | (यूए) |
| इलाहाबाद | (यूए) | कोझीकोड | (यूए) | जमशेदपुर | (यूए) |
| अमरावती |  | कोटा |  | पुद्दुचेरी | (यूए) |
| औरंगाबाद | (यूए) | लुधियाना |  | जालंधर- कैंट |  |
| बरेली | (यूए) | मदुरै | (यूए) | धनबाद | (यूए) |
| भावनगर |  | मेरठ | (यूए) | देहरादून | (यूए) |
| बीकानेर |  | मुरादाबाद | (यूए) | दुर्ग-‎भिलाई नगर | (यूए) |
| भोपाल |  | मैसूर | (यूए) | जम्मू | (यूए) |
| भुवनेश्वर |  | नासिक | (यूए) | जामनगर | (यूए) |
| अमृतसर | (यूए) | पुणे | (यूए) | ‎विजयवाड़ा | (यूए) |
| चंडीगढ़ | (यूए) | पटना | (यूए) | ‎विशाखापत्तनम | (यूए) |
| कोयम्बटूर | (यूए) | रायपुर | (यूए) | वारंगल |  |
| कटक | (यूए) | राजकोट |  | मंगलौर | (यूए) |
| दुर्गापुर |  | रांची | (यूए) | सेलम | (यूए) |
| गोरखपुर |  | शोलापुर |  | ‎तिरुपुर | (यूए) |
| गुवाहाटी  |  | श्रीनगर | (यूए) | ‎तिरु‎चिरापल्ली | (यूए) |
| गुन्टूर |  | सूरत | (यूए) | आसनसोल | (यूए) |
| ग्वालियर | (यूए) | तिरूवनन्तपुरम | (यूए) | बेलगाम | (यूए) |
| इंदौर | (यूए) | वडोदरा | (यूए) | ‎भिवंडी | (यूए) |
| हुबली-धारवाड |  | वाराणसी | (यूए) |  |  |

**क्षेत्र ‘ग’** में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है।

**द्रष्टव्य:** यू.ए. शहरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त किया गया है।

\*\*\*\*\*\*\*